भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3735
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाएं

3735. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम या योजनाएँ लागू की हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) गुजरात में ग्राम पंचायतों के कामकाज में डिजिटल शासन और पारदर्शिता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) निरंतर आधार पर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है तथा उनकी सहायता करता है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाने और कुशल कार्यकरण के लिए योजनाओं के तहत धनराशि संबंधी सहायता भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय वर्तमान में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पीआरआई के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना**;
ii. पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक **पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी)**, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदायगी और लोक कल्याण में सुधार लाने में उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने में सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं**,** और
iii. **ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत)**, आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक**,** जिसके तहत पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने**,** पीआरआई के कामकाज में कार्यकुशलता**,** जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन में योगदान देने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है।

ये योजनाएं गुजरात सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) या पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यान्वित की जाती हैं।

इसके अलावा**,** पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विकास कार्यों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) का अनुदान प्राप्त होता है जो उन्हें विभिन्न तरीकों से मजबूत बनाने में मदद करता है।

(ख) आरजीएसए योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि और उपयोग की गई धनराशि की राज्यवार स्थिति जिसमें गुजरात भी शामिल है, **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार के साथ साथ, गुजरात सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीएंडपीआर), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य संगठनों जैसे जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य नियोजन, कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शासन क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित विषयगत कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्थक योगदान देने की उनकी क्षमता का विस्तार करना है।

आरजीएसए योजना के तहत वर्ष 2022-23 से अब तक, प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्यवार संचयी संख्या, जिसमें गुजरात के प्रतिभागी भी शामिल हैं, **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(घ) डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन तैयार करके और उसे लोकप्रिय बनाकर जमीनी स्तर पर शासन में पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **एमएमपी-ई-पंचायत** योजना को लागू कर रहा है। ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल नियोजन, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज के एकीकरण से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं द्वारा वास्तविक समय पर भुगतान किया जाना संभव हुआ है, जिससे निर्बाध धनराशि प्रवाह सुनिश्चित हुआ है और देरी कम होती है। पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है, जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता लाना और बेहतर प्रबंधन करना है। पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन विकसित किया गया है। ये सभी डिजिटल कदम/पहल गुजरात की ग्राम पंचायतों सहित पूरे देश की ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता ला रहे हैं।

***

अनुलग्नक-I

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3735, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए योजना के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.35	2.52	59.66
2	अरुणाचल प्रदेश	108.69	132.45	72.09	89.97	70.00	77.94
3	असम	55.29	95.15	77.70	91.41	60.00	72.60
4	बिहार	33.37	70.07	25.00	51.81	0.00	78.05
5	छत्तीसगढ़	0.00	29.52	17.57	22.25	16.50	34.13
6	गोवा	0.00	1.12	0.89	1.00	1.35	1.29
7	गुजरात	0.00	0.01	0.00	1.28	0.00	15.48
8	हरियाणा	0.00	3.06	0.00	8.84	5.00	8.24
9	हिमाचल प्रदेश	60.65	37.49	19.31	69.30	27.21	43.13
10	जम्मू और कश्मीर	40.00	57.75	65.00	98.61	65.00	57.89
11	झारखंड	0.00	18.44	31.00	25.95	0.00	26.56
12	कर्नाटक	36.00	25.67	20.00	39.01	16.25	49.52
13	केरल	30.40	23.13	10.00	37.04	10.00	32.65
14	मध्य प्रदेश	28.00	145.17	32.17	74.16	40.00	96.92
15	महाराष्ट्र	37.84	129.03	116.12	194.26	80.00	134.81
16	मणिपुर	8.63	3.31	9.56	8.34	0.00	3.91
17	मेघालय	0.00	6.41	6.00	6.26	8.00	7.60
18	मिजोरम	14.27	25.48	10.00	15.64	12.00	22.69
19	नगालैंड	0.00	0.00	10.00	5.46	10.00	18.28
20	ओडिशा	11.40	24.83	27.33	44.22	20.00	60.15
21	पंजाब	34.25	42.91	10.00	23.06	5.00	23.89
22	राजस्थान	0.00	32.41	21.72	40.12	15.00	30.88
23	सिक्किम	6.01	4.98	6.00	7.90	7.00	7.35
24	तमिलनाडु	25.42	8.53	0.00	25.98	45.00	63.79
25	तेलंगाना	0.00	3.19	20.00	20.47	0.00	9.05
26	त्रिपुरा	9.80	3.76	7.43	10.96	10.00	20.29
27	उत्तर प्रदेश	85.05	96.33	84.13	158.95	38.77	180.84
28	उत्तराखंड	42.48	57.15	64.67	66.29	50.00	63.72
29	पश्चिम बंगाल	4.28	50.89	33.69	57.32	52.68	82.68
	संघ राज्य क्षेत्र						
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.03	0.79	1.28	2.12	1.18

31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1.14	4.50	1.00	0.38	1.00	0.00
32	लद्दाख	0.00	1.52	1.00	0.80	0.00	0.58

नोट: जारी की गई धनराशि केवल केन्द्र का हिस्सा है तथा उपयोग की गई धनराशि में राज्य का हिस्सा, पिछले वर्ष/वर्षों का अव्ययित शेष तथा एसएनए के अंतर्गत अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3735, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया गया है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वर्ष 2022-23 से अब तक आरजीएसए योजना के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों की राज्यवार संचयी संख्या

क्र. सं.	राज्य	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संचयी संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9960
2	आंध्र प्रदेश	1183748
3	अरुणाचल प्रदेश	22,318
4	असम	729416
5	बिहार	1056431
6	छत्तीसगढ़	375741
7	दादरा और नगर हवेली	2842
8	दमन और दीव	
9	गोवा	9885
10	गुजरात	93198
11	हरियाणा	92774
12	हिमाचल प्रदेश	225745
13	जम्मू एवं कश्मीर	717800
14	झारखंड	198522
15	कर्नाटक	1009333
16	केरल	465297
17	लद्दाख	26
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	615660
20	महाराष्ट्र	2389542
21	मणिपुर	6850
22	मेघालय	164,557
23	मिजोरम	22300
24	नगालैंड	9992
25	ओडिशा	557074
26	पुद्दुचेरी	0
27	पंजाब	202117
28	राजस्थान	206998
29	सिक्किम	32,050
30	तमिलनाडु	295645
31	तेलंगाना	18950
32	त्रिपुरा	130189
33	उत्तराखंड	214957
34	उत्तर प्रदेश	438094
35	पश्चिम बंगाल	720983

***